

प्रथम अध्याय : विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 28 जिले हैं एवं जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई, जो कि 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,18,401 अनुमानित की गई थी जो राष्ट्रीय औसत ₹1,50,007 से कम थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

क्र. सं.	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
2	पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.58	6.21	(-)-1.36	19.51
3	प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,82,266	3,27,693	3,44,571 ^अ	3,52,161 ^ब	4,00,061 ^क
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60


(स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)
अ-अग्रिम अनुमान ब-त्वरित अनुमान क-प्रावधिक अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पाँच वर्ष के अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाते हुए 2.20 से 16.09 प्रतिशत के मध्य रही। भले ही छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी भारत की जीडीपी की तुलना में 2021-22 के दौरान कम दर से बढ़ी, लेकिन इसने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च विकास दर दर्ज की, जोकि मुख्य रूप से जीएसडीपी बनाने वाले सभी तीन क्षेत्रों – कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर में, 2020-21 में 7.48 प्रतिशत, (-)0.16 प्रतिशत और 2.91 प्रतिशत से 2021-22 में क्रमशः 8.93 प्रतिशत, 17.27 प्रतिशत और 11.29 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ।

आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों –प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, जो कि कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव समझने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को जानना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना

को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है। कृषि में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं। उद्योग में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण आदि शामिल हैं।

चार्ट 1.1: वर्ष 2021-22 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना




स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

नोट: उत्पादों पर करों और सब्सिडी के आंकड़ों को छोड़कर सकल घरेलू उत्पाद और जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना की गणना की जाती है। करों और सब्सिडी का जीडीपी की तुलना में 9.78 प्रतिशत और जीएसडीपी की तुलना में 6.84 प्रतिशत है।

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का मुख्य योगदान था, जबकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा। प्रतिशत के अनुरूप से छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था। जबकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कम योगदान रहा।

चार्ट 1.2 से पता चलता है कि पांच साल की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, राज्य के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र के सापेक्ष हिस्से में 2017-18 में 18.41 प्रतिशत से 2021-22 में 20.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2017-18 में 40.39 और 33.05 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में क्रमशः 39.86 और 32.97 प्रतिशत हो गई है।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव (वर्ष 2017-18 से 2021-22)




स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

नोट: उत्पादों पर करों और सब्सिडी के आंकड़ों को छोड़कर जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना की गणना की जाती है। करों और सब्सिडी का जीएसडीपी से प्रतिशत 2017-18 में 8.15 प्रतिशत और 2021-22 में 6.84 प्रतिशत है।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखें, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखों को रखने के लिये उत्तरदायी तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखें तथा विनियोग लेखें द्वारा तैयार किया जाता है। इन लेखों का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के लिये राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है :

- वर्ष 2021-22 के लिये राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है ;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों (लेखाकन साथ ही एम.आई.एस) से अन्य आंकड़ा;
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े; और
- वर्ष 2017-22 के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पंद्रहवे वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है :

प्रथम अध्याय	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निधि आंकड़ा, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो विश्लेषण और राज्य का घाटा/आधिक्य सहित राजकोषीय स्थिति प्रदान करता है।
द्वितीय अध्याय	राज्य शासन के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का विगत वर्ष के तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य का ऋण का पार्श्व चित्र और प्रमुख लोक लेखा का लेन-देन, राज्य के वित्त लेखों के आधार पर व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
तृतीय अध्याय	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है, राज्य शासन की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदित करता है।
चतुर्थ अध्याय	लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों के कार्यप्रणालियों की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
पंचम अध्याय	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन यह अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों) के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है।

1.4 शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन

शासकीय लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चाहिए।

राजस्व लेखा प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व तथा संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), करेत्तर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व लेखा व्यय में शासन के वे समस्त व्यय शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम-काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से संबन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से संबन्धित है।

पूँजीगत लेखा प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि:

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है।

शासकीय लेखे के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और अर्थिक भी है।


	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप-शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षों साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों शासन

के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती है और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.4: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण



स्रोत : वित्त लेखे

1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में वर्ष 2021-22 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 71 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन समेकित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुत्रीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

1.5.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2020-21 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़े स. रा.घ.उ का प्रतिशतता
1	कर राजस्व	43,226.74	48,425.42	55,654.52	114.92	13.91
(i)	स्वयं के कर राजस्व	22,889.20	25,750.00	27,083.73	105.18	6.77
(ii)	संघीय करों/शुल्कों के अंश	20,337.54	22,675.42	28,570.79	126.00	7.14
2	करेतर राजस्व	7,136.95	9250.00	13,851.21	149.74	3.46
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,812.49	21,650.00	10,146.30	46.87	2.54
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	63,176.18	79,325.42	79,652.03	100.41	19.91
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	104.13	320.00	88.02	27.51	0.02
6	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.85	0.00	4.89	0.00	0.00
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,581.68	18,776.38	15,098.28	80.41	3.77
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	21,690.66	19,096.38	15,191.19	79.55	3.80
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	84,866.84	98,421.80	94,843.22	96.36	23.71
10	राजस्व व्यय	70,032.84	83,027.55	75,010.01	90.34	18.75
11	ब्याज भुगतान	5,633.11	6,470.83	6,144.24	94.95	1.54
12	पूँजीगत व्यय	9,024.19	13,839.35	10,504.22	75.90	2.63
13	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	50.51	239.55	328.81	135.17	0.08
14	कुल व्यय (10+12+13)	79,107.54	97,106.45	85,838.04	88.40	21.46
15	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-10)	(-)6,856.66	(-)3,702.13	4,642.02	(-)125.39	1.16
16	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}	(-)15,822.38	(-)17,461.03	(-)6,093.10	34.90	(-)1.52
17	प्राथमिक घाटा (16+11)	(-)10,189.27	(-)10,990.20	51.14	(-)0.47	0.01

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2021-22

हालांकि राज्य सरकार ने बजट में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है, इसने बजट की तुलना में उच्च कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों को जुटाने के कारण राजस्व आधिक्य हासिल किया। बजट में अनुमान से कम राजस्व और पूँजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा अनुमान से कम रहा।

1.5.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, सार्वजनिक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम एवं रोकड़ शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दायित्वों	परिसंपत्तियाँ						
		2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता				
1	आंतरिक ऋण	70,538.81	71,186.62	(+)0.91	कुल पूँजीगत परिव्यय	1,01,913.17	1,12,412.50	(+)10.30
2	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	6,169.30 ¹	11,726.15 ²	(+)90.07	ऋण और अग्रिमों	1,342.78	1,409.86	(+)5.00
3	आकस्मिकता निधि (कोपर्स)	100.00	100.00	(+)0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	0.00	(+)0.00
4	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	8,021.40	8,020.50	(-)0.01	अग्रिम	1.83	7.34	(+)301.09
5	जमा	5,985.11	5,786.49	(-)3.32	प्रेषण	329.28	336.22	(+)2.08
6	आरक्षित निधि	9,180.67	9,627.40	(+)4.87	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	(+)0.00
7	उचंत तथा विविध शेष	77.19	142.70	(+)84.87	रोकड़ शेष ³	9,461.37	9,921.62	(+)4.86
8	प्रेषण	0.00	0.00	(+)0.00	कुल (1 से 7)	1,13,048.43	1,24,087.54	(+)9.76
					शासकीय लेखों पर घाटा	12,975.95	17,497.68	(+)34.85
	कुल (1 से 8)	1,00,072.48	1,06,589.86	(+)6.56	कुल (8 से 9)	1,00,072.48	1,06,589.86	(+)6.51

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक

1.6 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ-साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

1.6.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (सितम्बर 2011 एवं उसके बाद 2016 में संशोधित) राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाना था।

¹ इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

² इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी।

³ निर्धारित निधि में निवेश सहित

बजट 2021-22 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय चर, राजकोषीय नीति वक्तव्यों में अधिनियम के तहत किए गए खुलासे और 2017-22 के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2017-22⁴

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	3,417.32 हाँ	683.76 हाँ	(-9,608.61 नहीं	(-6,856.66 नहीं	4,642.02 हाँ
2	राजकोषीय घाटा (-)आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2017-19 के लिये स.रा.घ. उ. का 3.50 प्रतिशत, 2019-21 के लिये स.रा.घ. उ. का 5 प्रतिशत एवं 2021-22 के लिये स.रा.घ. उ. का 4 प्रतिशत	(-6,810.32 (2.41 प्रतिशत) हाँ	(-8,292.23 (2.53 प्रतिशत) हाँ	(-17,969.55 (5.22 प्रतिशत) नहीं	(-15,822.38 (4.49 प्रतिशत) हाँ	(-6,093.10 (1.52 प्रतिशत) हाँ
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताए का अनुपात (प्रतिशत में)	2017-18 के लिये 18.47% 2018-19 के लिये 18.06% 2019-20 के लिये 21.23% 2020-21 के लिये 21.59% 2021-22 के लिये 28.34%	18.74 प्रतिशत नहीं	20.37 प्रतिशत नहीं	22.84 प्रतिशत नहीं	25.44 ⁵ प्रतिशत नहीं	22.77 ⁶ प्रतिशत हाँ

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ था, जबकि वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ था। राजस्व घाटे में कमी मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹4,977.17 करोड़ (7.10 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद 2020-21 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹16,475.85 करोड़ (26.07 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 20.80 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य का राजकोषीय घाटा 2020-21 में ₹15,822.38 करोड़ से 2021-22 (₹6,093.10 करोड़) के दौरान ₹9,729.28 करोड़ कम हो गया, क्योंकि 2020-21 में ₹6,856.66 करोड़ का राजस्व घाटा 2021-22 में ₹4,642.02 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदल गया। केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एफ.आर.बी.एम./एम.टी.एफ.पी.एस. के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.22 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

जीएसटी मुआवजा जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य शासन का राजस्व है। हालांकि, ₹1,216.86 करोड़ की जीएसटी मुआवजा राशि राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, छत्तीसगढ़ को भी ₹4,965.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त हुआ। इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी मुआवजा निधि में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व पूरा नहीं

⁴ जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

⁵ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹3,109 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹89,605.22 करोड़ पर की गई है।

⁶ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹91,098.74 करोड़ पर की गई है।

किया जाएगा। राज्य शासन का राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹6,093.10 करोड़ जैसा कि वित्त लेखा 2021-22 में दर्शाया गया है, इसलिए जीएसटी मुआवजे के बदले ₹4,965.15 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जीएसटी मुआवजे के बदले में ₹4,965.15 करोड़ की ऋण प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹9,607.17 करोड़ और ₹1,127.95 करोड़ होगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कुल बकाया ऋण का प्रतिशत (22.77 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस (28.34 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य एवं पन्द्रहवे वित्त आयोग (28 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर था। ऋण-जीएसडीपी प्रतिशत की गणना, कुल बकाया ऋण की राशि से जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹8,074.15 करोड़ (2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ और 2020-21 में ₹3,109 करोड़) के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

छत्तीसगढ़ एफआरबीएम अधिनियम, 2005 की धारा 5(3) के तहत, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे इस तरह की देनदारी को राज्य के उधार लेने के रूप में प्रतिबिंबित करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एफआरबीएम नियम निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और अनुदान की मांग के समय सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण करेगी। हालांकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म डी-2 "राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियों" में इस तरह के ऑफ-बजट उधार (₹4,383.37 करोड़) का खुलासा नहीं किया।

1.6.2 वर्ष 2021-22 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय नीति विवरण जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एमएफएस), मध्यम अवधि के वित्तीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) और वित्तीय नीति रणनीति वक्तव्य वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखेगी।

विवरण में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण, राज्य शासन के वित्त और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन, निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तालिका 1.5 में वर्ष 2021-22 में राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक की भिन्नता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	25,750.00	27,083.73	5.18
2	करेतर राजस्व	9,250.00	13,851.21	49.74
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	22,675.42	28,570.79	26.00
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	21,650.00	10,146.30	(-)53.13
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	79,325.42	79,652.03	0.41

6	राजस्व व्यय	83,027.55	75,010.01	(-)9.66
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(5-6)	(-)3,702.13	4,642.02	225.38
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)17,461.03	(-)6,093.10	(-)65.10
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	28.34	22.77 ⁷	(-)19.65
10	प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.37	13.60	45.14

स्रोत : वित्त लेखे तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2021-22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से सहायता अनुदान और राजस्व व्यय को छोड़कर, एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए अनुमान 2021-22 के दौरान पूरे हुए।

1.6.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।

<p>राजस्व घाटा/ आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में</p> <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्त करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्त करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें भी होंगी। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेंशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
<p>राजकोषीय घाटा/ आधिक्य (कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है))</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं के लिये चिंतनशील है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती हैं ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनीय है।</p>


⁷ ऋण/जीएसडीपी अनुपात की गणना बकाया ऋण पर की गई, जिसमें बैंक टू बैंक ऋण की राशि ₹8,074.15 करोड़ शामिल नहीं है।

1.6.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹6,093.10 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹4,00,061 करोड़) का 1.52 प्रतिशत तथा कुल व्यय (₹85,834.04 करोड़) का 7.09 प्रतिशत गठित करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10,189.27 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान ₹51.14 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में बदल गया। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹6,856.66 करोड़ का राजस्व घाटा ₹4,642.02 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदल गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) और 243(Y) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को हर पांच साल के बाद नियुक्त किया जाता है, जो राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की सिफारिश करता है, और अपने स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उपाय भी सुझाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000 में राज्य गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों का विवरण नीचे तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.6: राज्य वित्त आयोग का गठन

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना है	वास्तव में गठित	सिफारिश प्रस्तुत करने की तिथि	सरकार द्वारा स्वीकृति	पूर्ण अवधि
1	प्रथम	2001-02	22.08.2003	30.05.2007	जुलाई 2009	2007-12
2	द्वितीय	2006-07	23.07.2011	31.03.2013	जुलाई 2013	2012-20
3	तृतीय	2011-12	20.01.2016	30.09.2018	अक्टूबर 2019	2020-25
4	चतुर्थ	2016-17	29.07.2021	—	—	2025-30

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्य वित्त आयोग 22 अगस्त 2003 को गठित किया गया था। 14 जुलाई 2004 को इसका पुनर्गठन किया गया और आयोग ने मई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पहले और दूसरे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की संबंधित वर्षों की सिफारिशें नवसृजित राज्य पर लागू थीं। पहले एसएफसी ने कुल 81 सिफारिशें की हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने 36 को स्वीकार कर लिया है जबकि 5 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 23 जुलाई 2011 को वर्ष 2011-16 की अवधि के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। तथापि, राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को मार्च 2012 तक बढ़ा दिया था तथा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को वर्ष 2012 से बदलकर 2017 कर दिया था। तथापि, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति को वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए भी लागू किया गया था। दूसरे एसएफसी ने कुल 133 सिफारिशें की हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने 103 को स्वीकार कर लिया है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन 20 जनवरी 2016 को किया गया था और तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को पांच साल की अवधि यानी 2017-22 को कवर करना था। राज्य सरकार ने भारत के पंद्रहवें वित्त आयोग की समयावधि के साथ संयोजन के रूप में 2017-22 के स्थान पर 2020-25 की अवधि के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था।

चौथा राज्य वित्त आयोग 29 जुलाई 2021 को गठित किया गया था और चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को पांच साल की अवधि यानी 2025-30 को कवर करना था। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले उपलब्ध कराएगा।

राज्य वित्त आयोगों का गठन समय पर नहीं किया गया था। राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण में और देरी हुई।

एसएफसी द्वारा अनुशासित राज्य के अपने कर संसाधनों (एसओटीआर) का हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को तालिका 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.7: राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एसओटीआर का हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	अवधि	एसएफसी द्वारा हस्तांतरण की सिफारिश			राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण		
			पीआरआई	यूएलबी	कुल	पीआरआई	यूएलबी	कुल
1	प्रथम	2007-12	6.62	1.66	8.28	4.79	1.21	6.00
2	द्वितीय	2012-20	6.15	1.85	8.00	6.15	1.85	8.00
3	तृतीय	2020-25	6.91	2.09	9.00	6.91	2.09	9.00
4	चतुर्थ	2025-30	—	—	—	—	—	—

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट

पहले राज्य वित्त आयोग ने 2007-12 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य के अपने कर संसाधनों के 8.28 प्रतिशत के अंतरण की सिफारिश की थी। हालांकि राज्य शासन केवल 6 प्रतिशत (पीआरआई को 4.79 प्रतिशत और यूएलबी को 1.21 प्रतिशत) हस्तांतरित करने पर सहमत हुई। दूसरे राज्य वित्त आयोग ने 2012-17 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को एसओटीआर के 8 प्रतिशत के हस्तांतरण की सिफारिश की थी, जिसे राज्य शासन ने स्वीकार कर लिया था। हस्तांतरण में से पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.85 प्रतिशत था। तीसरे राज्य वित्त आयोग ने 2017-22 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को शुद्ध एसओटीआर के 9 प्रतिशत के हस्तांतरण की सिफारिश की थी, जिसे राज्य शासन ने 2020-25 की अवधि के लिए स्वीकार कर लिया था। हस्तांतरण में से पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.91 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा 2.09 प्रतिशत था।

वर्ष 2017-18 और 2021-22 के दौरान राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश, स्वीकार किए गए हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा आवंटित और जारी किए गए वास्तविक बजट के संबंध में निधि प्रवाह का विवरण नीचे तालिका 1.8 में दिखाया गया है:

तालिका 1.8: 2017-22 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए हस्तांतरण और वास्तविक बजट/व्यय की तुलना में एसएफसी अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित प्रतिशत			राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण			राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट			राज्य शासन द्वारा वास्तविक रिलीज		
		पीआरआई	यूएलबी	योग	पीआरआई	यूएलबी	योग	पीआरआई	यूएलबी	योग	पीआरआई	यूएलबी	योग
1	2017-18	(6.15)	(1.85)	(8.00)	(6.15)	(1.85)	(8.00)	901	278	1179	946	442	1388
2	2018-19	(6.15)	(1.85)	(8.00)	(6.15)	(1.85)	(8.00)	800	300	1100	839	300	1139
3	2019-20	(6.15)	(1.85)	(8.00)	(6.15)	(1.85)	(8.00)	756	321	1077	750	321	1071
4	2020-21	(6.91)	(2.09)	(9.00)	(6.91)	(2.09)	(9.00)	865	444	1309	606	442	1048
5	2021-22	(6.91)	(2.09)	(9.00)	(6.91)	(2.09)	(9.00)	858	451	1309	651	451	1102

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एसओटीआर (राज्य के अपने कर राजस्व) का प्रतिशत दर्शाते हैं

यूएलबी को जारी वास्तविक फंड 2020-21 को छोड़कर 2017-22 के दौरान बजट आवंटन के अनुसार था, जहां मामूली गिरावट देखी गई थी। लेकिन, 2017-18 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित बजट से पीआरआई को जारी वास्तविक फंड कम था।

1.8 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा के ध्यान में आने वाले विभिन्न मुद्दे जिनका राज्य शासन के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, का विवरण नीचे दिया गया है।

1.8.1 लेखापरीक्षा के बाद-घाटा/आधिक्य

कुछ मुद्दे जैसे राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021-22 के अपने लेखों में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण/पूँजी के रूप में बुकिंग, संबंधित निधियों को प्राप्त अनुदान के केंद्रीय हिस्से का हस्तांतरण न करना और अन्य मुद्दे, जिनकी चर्चा रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में की गई है, वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों में दर्शाए गए राजस्व/राजकोषीय आधिक्य/घाटे पर प्रभाव डालते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, उपरोक्त मुद्दों के प्रभाव को उचित रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व व्यय में ₹2,559.60 करोड़ की कमी हुई, जिसे तालिका 1.9 में परिकलित किया गया है। और उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का आकलन तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व व्यय पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राजस्व व्यय की अत्योक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति
1	राजस्व और पूँजी के बीच गलत वर्गीकरण ⁸	0.00	2,230.14
2	राष्ट्रीय पेंशन योजना	0.00	3.92
3	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियां	0.00	2.28
4	अवसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर का गैर हस्तांतरण	0.00	323.26
योग		0.00	2,559.60

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2021-22

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	न्यूनोक्ति	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	4,642.02	2,559.60	2,082.42
2	राजकोषीय घाटा(-)	(-)6,093.10	(-)329.46	(-)6,422.56

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2021-22

1.8.2 लेखा परीक्षा के बाद-कुल ऋण/दायित्व

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य के समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत शामिल देनदारियां और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं

⁸ ₹2230.14 करोड़ में राजस्व व्यय की बुकिंग यानी सहायता अनुदान (₹2,227.04 करोड़), रखरखाव कार्य (₹0.09 करोड़), कार्यालय व्यय (₹1.23 करोड़) और पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (₹1.77 करोड़) पूँजीगत व्यय के रूप में शामिल हैं।

जहां मूलधन और ब्याज को राज्य के बजट से सेवित किया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017-22 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने पांच पीएसयू के माध्यम से ₹4,383.37 करोड़ के ऑफ-बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने इन ऑफ-बजट उधार पर ब्याज की सर्विसिंग के अलावा ₹510.57 करोड़ के मूलधन का पुनर्भुगतान राज्य के बजट के माध्यम से किया। इस मुद्दे पर रिपोर्ट के पैरा 4.15 में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए, बजट से इतर उधारी को कुल देनदारियों में जोड़ा गया है।

जीएसटी मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण राज्य को भुगतान किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक विशेष उधार की स्थापना की और तदनुसार, राज्य को 2020-21 में ₹3,109 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ (कुल ₹8,074.15 करोड़) का बैंक टू बैंक ऋण जारी किया। इस बैंक टू बैंक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक निवल उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी मुआवजा कोष में उपकर के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से चुकौती दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। लेखा परीक्षा के बाद देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ-बजट उधार और बैंक टू बैंक ऋण के कारण, कुल ऋण/देयता जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ी/घटी है जैसा कि तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.सं.	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2022 को खातों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	99,172.89	24.79
2.	31.03.2022 को निवल ऑफ-बजट देनदारियां (₹4,383.37 - ₹510.57)(ब)	3,872.80	0.97
3.	ऑफ-बजट देनदारियों सहित कुल देनदारियां (स) = (अ) + (ब)	1,03,045.69	25.76
4.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैंक टू बैंक एक ऋण (द)	8,074.15	2.02
कुल देयताएं (स)-(द)		94,971.54	23.74

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2021-22

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऑफ-बजट देनदारियों और बैंक टू बैंक ऋण को समायोजित करने के बाद ऋण-जीएसडीपी अनुपात 24.79 प्रतिशत से घटकर 23.74 प्रतिशत हो गया।